

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी (स्वशासी संस्था)
अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2021/ 3662

जबलपुर, दिनांक- 28/04/2021

//आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. के निर्देशानुसार एन.एच.एम. के मापदण्डानुसार कोविड-19 (नोबेल कोरोना वायरस) महामारी से बचाव एवं वारोलॉजी लैब हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए एन.एच.एम. के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1/2021/6571 भोपाल दिनांक 12.04.2021 के तहत प्राप्त अनुमति के आधार पर कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/स्था/राज/अराज/2020/10306 जबलपुर दिनांक 29/12/2020 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी पश्चात् एवं चयन समिति की अनुशंसानुसार चयनित अभ्यर्थियों को कॉलम 4 में दर्शित पद पर एन.एच.एम. के मापदण्डानुसार निश्चित वेतनमान 15000/- प्रतिमाह में दिनांक 31/05/2021 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पद
1	2	3	4
1	SUNNY SINGH	KAMLESHWAR SINGH	डायलिसिस टेक्नीशियन
2	AKASH RAJAK	RAMESH RAJAK	डायलिसिस टेक्नीशियन
3	NARESH KUMAR	SANTKUMAR MARSKOLE	डायलिसिस टेक्नीशियन
4	ENOSH LEVI	RAHABAAM LEVI	डायलिसिस टेक्नीशियन

नियुक्ति हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं।

1. यह सेवाएं पूर्ण रूप से अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही हैं, अतः इन सेवाओं को, नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
2. अस्थायी कर्मचारी को नियुक्ति आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
3. यह सेवाएं एक निश्चित समयावधि के लिए ली जा रही है, जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा। (31/05/2020 तक)
4. नियुक्ति कर्मचारी को नियुक्ति हेतु अनुबंध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अनुबंध पत्र जमा किये बिना कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा। (अनुबंध पत्र संलग्न है।)
5. उक्त मानव संसाधन की सेवाएं चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर अथवा COVID-19 Control Operation में ली जावेगी।
6. नियुक्त कर्मचारी को 05 वर्ष की आयु से कम की संतान न होने का वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर होंगे।
8. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाल व्यय संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर
(फोन न. 0761-2370951)

प्रतिलिपि:-

1. संभागायुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर ।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला- जबलपुर की ओर ।
6. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर ।
7. संचालक सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज जबलपुर ।
8. प्रभारी अधिकारी एन.एच.एम. मेडिकल कॉलेज जबलपुर ।
9. प्रशासकीय अधिकारी मेडिकल कॉलेज जबलपुर ।
10. स्थानीय लेखा शाखा मेडिकल कॉलेज जबलपुर ।
11. श्री/श्रीमति/कु.....

की ओर पालनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर
(फोन न. 0761-2370951)